नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ० प्र० शासन

का

वर्ष 2012–2013

के

बजट हेतु

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफार्मेंस) बजट व वार्षिक रिपोर्ट

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग
उ0प्र0 शासन लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश आबादी के अनुसार देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रदेश है। प्रदेश में 75 जनपदों में 630 नगरीय निकाय हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में शहरी गरीबों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार और सामाजिक तथा आर्थिक तरक्की के लिए नई योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं। प्रदेश के रिक्शा चालकों से उनके रिक्शा लेकर बदले में मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शे निःशुल्क देने की योजना को प्राथमिकता प्रदान की गयी है। रिक्शा चालकों को अत्याधुनिक रिक्शे का मालिकाना हक प्रदान करते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार का कारगर उपाय किया जायेगा।

शहरी निर्धन अल्प संख्यकों व अन्य सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब पात्र चयनित लाभार्थियों को प्रस्तावित **''आसरा आवास योजना''** के अन्तर्गत रू0 2.50 लाख प्रति इकाई लागत से एक कमरा, रसोई व टॉयलेट तथा बरामदा युक्त मकान निर्माण कराकर निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। सरकार की कोशिश होगी कि प्रदेश में किसी भी गरीब को फुटपाथ पर सोने के लिये मजबूर न होना पड़े।

शहरी गरीबों के हित में योजनाओं के सही कार्यान्वयन हेतु क्षमता विकास करने के लिए रामपुर में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना तथा प्रदेश में 10 स्थानों पर लघु व्यापार केन्द्रों की भी स्थापना की जायेगी। शहरी अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा मलिन बस्तियों में अवस्थापना सुविधाओं यथा सी. सी.रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली, जल निकासी इत्यादि का सृजन किया जायेगा। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, द्वारा चलायी जा रही जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवायें तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय परियोजनाओं को मिशन के रूप में चलाकर आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। राजीव आवास योजना में भी कार्य किया जायेगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत कमजोर तबके के लोगों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेगें तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना करने में सहायता दी जायेगी।

आम गरीब व्यक्ति की अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चत की जायेगी।

मो0 आज़म खाँ
मंत्री
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग,
उ0प्र0 शासन।

प्राक्कथन

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 में किये गये विभिन्न कार्य–कलापों की पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक 2012–2013 प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नगरीय मलिन बस्तियों के विकास कार्यक्रमों से सम्बद्ध केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों में कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक (परफार्मेन्स बजट) तैयार किये जाने की संस्तुति पर आधारित है। नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग द्वारा संचालित अलग–अलग योजनाओं यथा–स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) तथा इन्टीग्रेटेड लो कास्ट सेनीटेशन स्कीम (आई.एल.सी.एस.) आदि योजनायें संचालित की जा रही हैं। इस कार्य पूर्ति दिग्दर्शक में विभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यक्रमों एवं भावी योजनाओं का विवरण भी दिया गया है।

मुझे आशा है कि इस कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्यय के संदर्भ में विभाग के कार्यक्रमों में सुधार, संशोधन एवं परिमार्जन हेतु उन्हें और प्रभावी तथा जनोपयोगी बनाने के उद्देश्य से विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के सुझाव अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे।

अतः इस प्रयोजन हेतु विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के सुझावों का नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग में सदैव स्वागत है।

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव,
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
कार्यक्रम विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण	01-06
2.	नई योजनायें	07-08
3.	वित्तीय आवश्यकतायें : कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण	9-10
4.	परफार्मेंस बजट (कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक) 2012-2013	11
5.	वित्तीय साधनों के स्रोत	12
6.	गत तीन वर्षों के वित्तीय/भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ तथा वर्ष 2012-2013 के प्रस्तावित विवरण	12
7.	गत चार वर्षों में शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लाभार्थियों तथा मानव दिवसों के भौतिक लक्ष्यों/उपलब्धियों का विवरण	13
8.	प्रशासनिक ढांचा	14-15

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

उत्तर प्रदेश में प्रदेश स्तर पर नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग का गठन किया गया, जिसके अधीन राज्य स्तर पर राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) का गठन नोडल एजेन्सी के रूप में किया गया है। यह एजेन्सी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 20 नवम्बर, 1990 से पंजीकृत है। जनपद स्तर पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) स्थापित किए गये हैं। इनके माध्यम से शहरी गरीबों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जनपदीय नगरीय विकास अभिकरण के पदेन अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी हैं व जनपद की समस्त नगर निकायों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं।

उक्त के अतिरिक्त मलिन बस्तियों में प्रत्येक 2000 परिवार पर एक सामुदायिक विकास समिति (सी0डी0एस0) का गठन किया गया है। इनका पंजीकरण अनिवार्य है। इन समितियों का उद्देश्य मलिन बस्तियों के विकास में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करना है।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नगरीय निर्धनों के सर्वांगीण उत्थान की दिशा में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा मुख्यतः निम्न योजनाओं को संचालित किया जा रहा है–

1 **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना।**

2 **कम लागत की सफाई योजना।**

3 **एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम।**

4 **शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं।**

5 **राजीव आवास योजना।**

6 **नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति बाहुल्य मलिन बस्तियों के विकास हेतु एस0सी0एस0पी0 मद में राज्य बजट से अनुदान।**

उपर्युक्त योजनाओं के संबंध में विस्तृत विवरण इस प्रकार है :–

1. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना–

इस योजना का उद्देश्य नगरीय क्षेत्र के निर्धन बेरोजगारों अथवा आंशिक बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यम अथवा मजदूरी रोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना व रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ सामुदायिक सम्पत्तियों का सृजन भी करना है। मुख्यतः

यह योजना समुदाय को सशक्त बनाकर उन्हें नियोजन और अनुश्रवण की प्रक्रिया से जोड़ने के सिद्धान्त पर आधारित है। इस योजना में सामुदायिक विकास समिति (सी.डी.एस) को केन्द्र बिन्दु मानकर उन्हीं के माध्यम से लाभार्थियों का चयन, परियोजना का चयन, प्रार्थना पत्रों को तैयार करना तथा वसूली का अनुसरण किया जा रहा है। इस योजना में निर्धन महिलाओं के समग्र एवं सर्वांगीण विकास एवं उनके सुदृढ़ीकरण हेतु सामाजिक सशक्तीकरण एवं महिला समूहों की सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है, साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विकलांगों के विकास के संबंध में भी विशेष बल दिया जाता है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार का वित्त पोषण 75:25 निर्धारित किया गया है। योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए रू0 11119.01 लाख का केन्द्रांश आवंटित किया गया है, जिसके सापेक्ष पूर्ण धनराशि भारत सरकार से प्राप्त कर ली गयी है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में मुख्य रूप से निम्न कार्यकम संचालित किये जाने है जिनका संशोधित दिशा–निर्देशानुसार विवरण निम्नानुसार है:–

(क) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम– योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों को रू0 2,00,000.00 तक की लागत की परियोजना स्थापित करने हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम रु0 50,000.00) तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है एवं परियोजना लागत का 5 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान होता है। परियोजना स्थापित करने हेतु अवशेष धनराशि ऋण के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों से उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह मार्च–2012 तक रू0 1695.98 लाख व्यय करके 4605 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

(ख) शहरी महिला स्व सहायता कार्यकम (ऋण/अनुदान)– शहरी निर्धन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर उनमें बचत की आदत डालने के साथ–साथ सामूहिक रूप से उद्यम लगाने हेतु प्रेरित कर उन्हें सक्षम बनाया जाता है। तत्पश्चात् उद्यम हेतु परियोजना के आधार पर परियोजना लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम रू0 3.00 लाख प्रति समूह) का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। परियोजना लागत की अवशेष धनराशि ऋण के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह मार्च–2012 तक रू0 349.73 लाख व्यय करके 904 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

(ग) शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण – शहरी निर्धनों को स्वतः रोजगार एवं रोजगार हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौशल वृद्धि हेतु इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकतम रू0 10,000.00 प्रति लाभार्थी व्यय किये जाने का प्राविधान है जिसमें प्रशिक्षण संस्था टूल–किट एवं

अन्य व्यय सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह मार्च–2012 तक रू0 2230.58 लाख व्यय करके 31315 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2012–13 में भारत सरकार द्वारा 1.05 लाख लाभार्थियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) **शहरी महिला स्व सहायता कार्यकम (आवर्ती निधि)–** शहरी निर्धन परिवारों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने हेतु निर्धन महिलाओं को ऋण बचत समूह बनाने के लिये किया जाता है। इस योजना में यदि महिला समूह एक वर्ष तक बचत करता है तो उन्हें वर्ष की समाप्ति पर रू0 2000.00 प्रति लाभार्थी (अधिकतम रू. 25,000.00) रिवाल्विंग फण्ड के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। संशोधित दिशा–निर्देशानुसार न्यूनतम 05 महिलाओं को एक समूह बनाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह मार्च–2012 तक 767 समूहों का गठन कराया गया है एवं 2696 लाभार्थियों को रू0 52.14 लाख रिवाल्विंग फण्ड दिया गया है।

(ङ) **शहरी मजदूरी रोज़गार कार्यक्रम –** इस योजना में नगरीय स्थानीय निकायों की सीमा के अन्तर्गत रहने वाले एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को मजदूरी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराते हुए सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभकारी सार्वजनिक सम्पत्तियों का निर्माण कराया जाता है। 1991 की जनगणना के अनुसार 5.00 लाख से कम जनसंख्या वाले स्थानीय निकायों में यह योजना लागू की गयी है। इसमें ऐसी योजनाएं चयनित की जाती हैं जिनमें सामग्री तथा मजदूरी का अनुपात 60:40 हो। योजना में सी.डी.एस. द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर अपने क्षेत्र की आधारभूत न्यूनतम सेवाओं की सूची तैयार की जाती है एवं अनुपलब्ध मौलिक न्यूनतम सेवाओं की पहचान कर कार्य कराने की संस्तुति की जाती है। तदोपरान्त शासी निकाय के अनुमोदन के उपरांत उपलब्ध बजट से कार्य कराये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह मार्च–2012 तक 2.88 लाख मानव दिवस सृजित किये गये है।

(च) **शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क–सामुदायिक अवसंरचना, सामुदायिक विकास और अधिकारिता –** टॉप–डाउन कार्यान्वयन की पारम्परिक विधि के स्थान पर योजना, सामुदायिक संगठनों और अवसंरचनाओं के गठन और पोषण पर निर्भर करने से शहरी गरीबी उन्मूलन में विशेष सहायता मिलती है। इस दृष्टिकोण को सार्थक बनाने के उद्देश्य से स्व–सहायता समूहों (एन.एच.जी.) परिवेश समितियों (एन.एच.सी.), सामुदायिक विकास समितियों (सी.डी.एस.) एवं सामुदायिक संगठनकर्ताओं को सशक्त बनाने के निमित्त भारत सरकार द्वारा इस उपयोजना को प्रारम्भ किया गया है।

सामुदायिक संरचनाओं तथा समुदाय विकास नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु जागरूकता शिविर, कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन/बैठकों, सामुदायिक एकत्रीकरण समिति, सी.डी.एस. के दैनिक कार्य कलापों आदि के लिए इस घटक के अंतर्गत धनराशि व्यय की जा सकती है।

2. शुष्क शौचालयों को जलप्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किये जाने की नई योजना–

शुष्क शौचालयों को जलप्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2008 से संशोधित नई योजना के दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये है। नई योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रति शौचालय लागत रू0 10,000/– मात्र (सुपर स्ट्रक्चर सहित) रखी गयी है जिसमें से 75 प्रतिशत (रू0 7,500/–) केन्द्रीय अनुदान, 15 प्रतिशत (रू0 1,500/–) राज्य अनुदान एवं 10 प्रतिशत (रू0 1,000/–) लाभार्थी अंशदान का प्रावधान है। नई संशोधित दिशा–निर्देश के कम में प्रदेश के 628 स्थानीय निकायों में माह जुलाई, 2008 से दिसम्बर, 2008 तक कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार कुल 2,38,253 शुष्क शौचालय (उठाऊ/बहाऊ) चिन्हित किये गये है जिन्हें जलप्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु कुल रू0 241.83 करोड़ लागत की परियोजनायें भारत सरकार से स्वीकृत करायी गयी है। योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य अनुदान को मिलाकर रू0 212.76 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुयी है जिसके सापेक्ष 2,38,253 शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित में परिवर्तित किया जा चुका है। एन.जी.ओ के भुगतान के लिए भारत सरकार से रू0 5.89 करोड़ अभी प्राप्त होना शेष है जिसके लिए बजट में प्रावधान होना प्रस्तावित है।

3. शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं –

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 से प्रदेश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले चयनित नगरों, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ तथा धार्मिक/एतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर मथुरा में राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं योजना प्रारम्भ की गयी है {छः महानगरों हेतु केन्द्र एवं राज्य (जिसमें निकाय व लाभार्थी अंश शामिल है) के मध्य वित्त पोषण 50:50 में है, जबकि मथुरा नगर के लिए केन्द्र एवं राज्य (जिसमें निकाय व लाभार्थी अंश शामिल है) के मध्य वित्त पोषण 80:20 में है} जिसके अन्तर्गत शहरी मलिन बस्तियों में आश्रय और अवस्थापना सुविधाओं के समेकित विकास की अवधारणा की गयी है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के रूप मे भारत सरकार से प्राप्त होगा एवं (6 महानगरों–लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी एवं मेरठ हेतु) इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत का 50 प्रतिशत एवं आवास लागत का 38/40 प्रतिशत (अनारक्षित/आरक्षित श्रेणी हेतु)

राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। मथुरा शहर के संदर्भ में इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत का 20 प्रतिशत एवं आवास इकाईयों का 10/8 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं आवास लागत में लाभार्थी अंशदान योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार लाभार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से वहन किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि शहरी निकायों की आर्थिक स्थिति देखते हुये उनका अंश भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

योजना अंतर्गत मिशन अवधि 2005–2012 तक के लिए रू0 1165.22 करोड़ धनराशि के केन्द्रीय अनुदान का परिव्यय निर्धारित है, जिसके सापेक्ष मूलभूत सुविधाओं सहित 51801 आवासों की 66 परियोजनायें (लागत रू0 2078.37 करोड़) भारत सरकार से स्वीकृत करायी गयी है जिसमें केन्द्रीय अनुदान की राशि रू0 973.77 करोड़ आंकलित है। योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य अनुदान को मिलाकर अद्यतन रू0 1412.81 करोड़ की धनराशि प्राप्त है जिसके सापेक्ष रू0 962.72 करोड़ व्यय कर 29306 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है शेष निर्माणाधीन है। पूर्ण आवासों में से अधिकांश आवास लाभार्थियों को आवंटित किये गये है।

योजना की मिशन अवधि मार्च, 2012 तक निर्धारित थी। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु योजनावधि मार्च 2014 तक विस्तारित की गयी है।

4. एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम–

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 से 'एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम' प्रारम्भ किया गया है । यह योजना कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, व मथुरा नगरों को छोड़कर प्रदेश के शेष समस्त निकायों में लागू है। इसके अर्न्तगत शहरी मलिन बस्तियों में आश्रय और अवस्थापना सुविधाओं के समेकित विकास की अवधारणा की गयी है । इसमें कुल परियोजना लागत का 80 प्रतिशत भाग केन्द्रीय अनुदान के रूप में भारत सरकार से प्राप्त होगा एवं कार्यक्रम हेतु तैयार की गयी परियोजना लागत में इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत का 20 प्रतिशत एवं आवास लागत का 10/8 प्रतिशत राज्यांश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा एवं आवास लागत में से लाभार्थी अंशदान योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार लाभार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से वहन किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि शहरी निकायों की आर्थिक स्थिति देखते हुये उनका अंश भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

योजना अंतर्गत मिशन अवधि 2005–2012 तक के लिए रू0 854.41 करोड़ धनराशि के केन्द्रीय अनुदान का परिव्यय निर्धारित है जिसके सापेक्ष मूलभूत सुविधाओं सहित 46175 आवासों की 159 परियोजनायें लागत रू0 1292.84 करोड़ भारत सरकार से स्वीकृत करायी गयी है। जिसमें केन्द्रीय अनुदान की राशि रू0 826.41 करोड़ आंकलित है। योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य अनुदान को मिलाकर अद्यतन रू0 913.59 करोड़ की धनराशि प्राप्त है जिसके सापेक्ष रू0 550.58 करोड़ व्यय कर 13028 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है शेष निर्माणाधीन

हैं। पूर्ण आवासों में अधिकांश आवास लाभार्थियों को आवंटित किये गये हैं।

योजना की मिशन अवधि मार्च, 2012 तक निर्धारित थी। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु योजनावधि मार्च 2014 तक बढ़ा दी गयी है।

5. राजीव आवास योजना –

इस योजना का उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में चयनित नगरों को स्लम मुक्त किया जाना है। राजीव आवास योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदेश के 18 नगर यथा– आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुरनगर, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, झांसी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, मथुरा एवं रायबरेली चयनित हैं। इन नगरों के अतिरिक्त रामपुर, इटावा एवं कन्नौज नगरों को इस योजनान्तर्गत चयनित किये जाने हेतु विभाग की ओर से आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

योजनान्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 06 नगरों आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ तथा कानपुर नगर के प्लान आफ एक्शन(पीओए) तैयार किये जाने हेतु निदेशक,आर0सी0यू0ई0एस0, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद को परामर्शी संस्था नामित किया गया है एवं उक्त 06 नगरों के प्लान आफ एक्शन का ड्राफ्ट परामर्शी संस्था द्वारा तैयार कर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जानी है। चयनित नगरों के प्लान आफ एक्शन(पीओए) तैयार किये जाने हेतु रू0 1466.34 लाख की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 733.17 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। वर्तमान में उक्त 06 नगरों के प्लान आफ एक्शन बनाये जाने हेतु परामर्शी संस्था को रू0 144.00 लाख की दो बराबर किश्तों में कुल रू0 288.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

6. नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति बाहुल्य मलिन बस्तियों के विकास हेतु एस0सी0एस0पी0 मद में राज्य बजट से अनुदान –

प्रदेश के 630 स्थानीय निकायों में स्थित अनुसूचित जाति बाहुल्य (40 प्रतिशत से अधिक) मलिन बस्तियों में जल एवं मल निकासी, पेयजल, बरसाती नाला और सड़क आदि मुहैया कराने के लिय राज्य बजट से वित्तीय वर्ष 2011–12 के एस0सी0एस0पी0 मद में से रू0 1850.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इस धनराशि से शहरी क्षेत्र की लगभग 550 अनुसूचित जाति बाहुल्य मलिन बस्तियों का विकास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह मार्च–2012 तक रू0 12485.14 लाख व्यय करके 5.22 लाख जनसंख्या को लाभान्वित किया गया है।

नई योजनाऐं

वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यकम विभाग द्वारा यह अभिमत बनाया गया है कि अल्पसंख्यक परिवार भी समाज के अत्यन्त कमजोर पिछड़े वर्गों की श्रेणी में हैं। अतः उनके व मलिन बस्ती क्षेत्रों में निवसित लोगों के लिए विशेष कार्यकम चलाया जाये। उक्त दृष्टि से निम्नवत् नई योजनायें (मांग) चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए प्रस्तातिव है :–

1. आसरा योजना (आवासीय भवन)

प्रदेश सरकार द्वारा शहरी निर्धन व्यक्तियों, शहरों के अल्पसंख्यक बाहुल्य तंग बस्तियों में रहने वाले निर्धन तथा अन्य पिछड़े/अनुसूचित जाति के मेहनतकश परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

इस योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू0 100.00 करोड़ आय–व्ययक की व्यवस्था की गयी है।

2. रिक्शा योजना

प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिकता कार्यक्रम के अंतर्गत मानव चालित रिक्शों के स्थान पर रिक्शा चालकों को मुफ्त मोटर/बैटरी चालित/सोलर चालित रिक्शा देने की योजना परिकल्पित है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस योजना हेतु रू0 100.00 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

3. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधाओं का निर्माण।

प्रदेश सरकार द्वारा शहरी नगरीय क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य एवम् अन्य मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के दृष्टिगत सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली, जल निकासी, पेयजल, मार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने के लिये योजना लागू की जा रही है। अतः सामान्य रूप से अल्पसंख्यकों में विशिष्ट रूप से पिछड़े मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में विकास कार्य कराया जाना प्रथमिकता है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में उक्त कार्य हेतु रू0 100.00 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

योजनान्तर्गत वांछित धनराशि राज्य सरकार द्वारा अभिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान की रामपुर नगर में स्थापना

प्रदेश स्तर पर नगरीय क्षेत्रों में सेवायोजित कर्मियों तथा लाभार्थियों की क्षमता के विकास हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना रामपुर नगर में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना में भारत सरकार से भी वित्तीय सहायता प्राप्त किया जाना प्रस्तवित है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में उक्त कार्य हेतु रू0 5.25 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

5. अल्प संख्यक एवं निर्धन शहरी गरीबों हेतु लघु व्यापार केन्द्र की स्थापना ।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर अल्प संख्यक एवं शहरी गरीबों को रोजगार परक बनाने हेतु स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत लघु व्यापार केन्द्र की स्थापना हेतु उक्त योजना आरम्भ की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रथम चरण में 10 केन्द्रों की स्थापना प्रदेश के चिहिन्त जनपदों में की जानी है जिसके लिये केन्द्र सरकार प्रति केन्द्र लागत रू0 60.00 लाख की दर से रू0 6.00 करोड़ एवं राज्य सरकार का अंश रू0 20.00 लाख प्रति केन्द्र की दर से रू0 2.00 करोड़ होगा। वित्तीय वर्ष 2012–13 में धनराशि रू0 2.00 करोड़ की आवश्यकता होगी।

योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना लागत का रू0 6.00 करोड़ भारत सरकार द्वारा एवं रू0 2.00 करोड़ राज्य सरकार का अंश होगा।

उपरोक्त वर्णित नई योजनाओं में अभी कुल रू0 307.25 करोड़ का आय–व्ययक प्रस्तावित किया गया है।

तालिका - 1

वित्तीय आवश्यकतायें : कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम0सं0	अनुदान	मुख्य लेखा	कार्यक्रम	आय व्ययक 2010–11			आय व्ययक 2011–12			आय व्ययक अनुमान 2012–13		
				आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
	सं0	शीर्षक										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		2230	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	1062.44		1062.44	7371.65		7371.65	7700.00		7700.00
2		2230	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन	4.36		4.36	5.25		5.25	5.76		5.76
3		2217	शुष्क शौचालय परिवर्तन हेतु	6543.00		6543.00	1066.67		1066.67	5.00		5.00
4		2217	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम	18884.35		18884.35	22372.75		22372.75			
		4217	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम							17614.00		17614.00
5		2217	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	24729.42		24729.42	27200.93		27200.93			
	37	4217	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं							26420.00		26420.00
6		2217	राजीव आवास योजना	733.17		733.17	733.17		733.17	733.00		733.00
7		2217	एर्फोडेबुल हाउसिंग स्कीम	100.00		100.00						0.00
		2217	अर्बन स्टैटिस्टिक्स फॉर एच.आर. एण्ड एसैसमैन्ट (यू.एस.एच.ए.)				104.01		104.01	0.01		0.01
8		4216	आसरा योजना (आवासीय भवन)							5000.00		5000.00
9		2230	रिक्शा योजना							5000.00		5000.00
10		4217	प्रदेश की अल्पसंख्यक बाहुल्य मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधायें							5000.00		5000.00
11		4250	अल्प संख्यक एवं निर्धन शहरी गरीबों हेतु लघु व्यापार केन्द्र							100.00		100.00
12		4217	रामपुर में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान							525.00		525.00
			योग	52056.74	0.00	52056.74	58854.43	0.00	58854.43	68102.77	0.00	68102.77

नोट – वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–1063 एवं 1064/दस–2012–12 (2)/2012, दिनांक 10 मई, 2012 के द्वारा बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी. योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2012–13 से लेखा शीर्ष 2217 (राजस्व) के स्थान 4217 (पूंजीगत) में परिवर्तित किया गया है।

क्रमशः .....

तालिका – 1

वित्तीय आवश्यकतायें : कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रूपये लाख में)

क्रम0सं0	अनुदान	मुख्य लेखा	कार्यक्रम	आय व्ययक 2010–11			आय व्ययक 2011–12			आय व्ययक अनुमान 2012–13		
				आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
	सं0	शीर्षक										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		2230	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस0सी0एस0पी0)	1208.30		1208.30	2561.64		2561.64	6860.00		6860.00
2		2217	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम	6420.10		6420.10	23515.58		23515.58			
		4217	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम							17613.00		17613.00
3		2217	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	29720.65		29720.65	31991.36		31991.36			
		4217	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं							26420.00		26420.00
	83		अनुसूचित जाति सब प्लान, (राज्य सेक्टर)									
4		2217	अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं	15755.79		15755.79	1850.00		1850.00	1850.00		1850.00
		4217	मा. कांशीराम शहरी दलित बस्ती समग्र विकास योजना				23500.00		23500.00			
5		2217	शुष्क शौचालय परिवर्तन हेतु	4439.95		4439.95	1066.72		1066.72	5.00		5.00
6		4216	आसरा योजना (आवासीय भवन)						0.00	5000.00		5000.00
7		2230	रिक्शा योजना							5000.00		5000.00
8		4217	मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधायें							5000.00		5000.00
9		4250	निर्धन शहरी गरीबों हेतु लघु व्यापार केन्द्र							100.00		100.00
			योग	57544.79	0.00	57544.79	84485.30	0.00	84485.30	67848.00	0.00	67848.00
			महायोग	109601.53	0.00	109601.53	143339.73	0.00	143339.73	135950.77	0.00	135950.77

नोट – वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–1063 एवं 1064/दस–2012–12 (2)/2012, दिनांक 10 मई, 2012 के द्वारा बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी. योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2012–13 से लेखा शीर्ष 2217 (राजस्व) के स्थान 4217 (पूंजीगत) में परिवर्तित किया गया है।

तालिका - 2

परफार्मेंस बजट (कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक) 2012-2013

(रूपये लाख में)

क्रम	योजनायें	2009–2010				2010–2011				2011–2012				2012–2013 (प्रस्तावित)	
		केन्द्रांश	अवमुक्त धनराशि	राज्यांश	अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	अवमुक्त धनराशि	राज्यांश	अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	अवमुक्त धनराशि	राज्यांश	अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश
1	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	6462.43	6462.43	2154.14	1779.88	7224.67	7224.67	2408.22	2258.24	11119.01	11119.01	3706.34	4376.24	9337.26	3112.42
2	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन	-----	-----	1.90		-----	-----	4.36				5.25			5.76
3	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम			23056.39	20098.79			55160.00	16190.32			49176.06	30598.32		35227.00
4	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं			36968.37	36674.80			108600.00	37383.80			66108.00	34777.39		52840.00
5	राजीव आवास योजना							733.17	733.17						733.00
6	अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं			8704.91	8697.99			1250.00	1244.20			1850.00	1810.09		1850.00
7	मा. कांशीराम शहरी दलित बस्ती समग्र विकास योजना											23500.00	13999.19		
8	शुष्क शौचालय परिवर्तन हेतु	3364.76	5556.47	6762.96	6762.43	10905.00	8356.19	2181.00	1671.35	1778.00	1777.99	355.38	355.38		10.00
	योग–	9827.19	12018.90	77648.67	74013.89	18129.67	15580.86	170336.75	59481.08	12897.01	12897.00	144701.03	85916.61	9337.26	93778.18

आई.एच.एस.डी.पी. एवं बी.एस.यू.पी. योजनाओं में केन्द्रांश एवं राज्यांश राज्य बजट के माध्यम से जारी किया जाता है। इसलिए इन योजनाओं में प्रस्तावित धनराशि राज्यांश के कॉलम में दर्शायी गयी है।

तालिका - 3

वित्तीय साधनों के स्रोत

(रूपये लाख में)

क0सं0	अनुदान सं0	मुख्य लेखा शीर्षक	वास्तविक व्यय 2010–11			आय व्ययक 2011–12			पुनरीक्षित 2011–12			आय व्ययक अनुमान 2012–13		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	37	2230,2217,	20160.59	----	20160.59	59093.43	----	59093.43	59093.43	----	59093.43	8715.00	----	8715.00
2	83	2230,2217	53834.59	----	53834.59	61284.06	----	61284.06	60985.30	----	60985.30	8443.77	----	8443.77
3	37	4217					----			----		44034.00	----	44034.00
4	83	4217				23500.00	----	23500.00	23500.00	----	23500.00	44033.00	----	44033.00
5	37	4216, 4217,4250										15625.00		15625.00
6	83	4216, 4217,4250										15100.00		15100.00
	योग		73995.18		73995.18	143877.49		143877.49	143578.73		143578.73	135950.77		135950.77

तालिका - 4

परफार्मेंस बजट (कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक) 2012-2013
गत तीन वर्षों के वित्तीय/भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ तथा वर्ष 2012-2013 के प्रस्तावित विवरण

धनराशि रू0 लाख में
संख्या लाख में

		2009–2010				2010–2011				2011–2012				2012–2013 (प्रस्तावित)	
क्रम	योजनायें	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	10166.87	3990.92	0.45	0.21	9632.89	10294.84	0.84	0.69	14825.35	6937.21	0.92	0.39	12449.68	0.81
	(1.12.97 से)														

उपरोक्त आंकडे केन्द्रांश एवं राज्यांश को जोडते हुए दर्शाये गये है ।

तालिका – 5

गत चार वर्षों में शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लाभार्थियों तथा मानव दिवसों के भौतिक लक्ष्यों/उपलब्धियों का विवरण

(संख्या लाख में)

क्रम	मदें	2008–2009			2009–2010			2010–2011			2011–2012			2012–2013
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	प्रस्तावित
				%			%			%			%	
1.	लाभार्थी	0.84	0.86	102.38	0.45	0.21	46.67	0.84	0.69	82.14	0.92	0.39	42.39	0.81
2.	मानव दिवस	12.43	9.14	73.53	8.13	3.77	46.37	9.73	5.39	55.40	9.73	2.88	29.60	9.88

प्रशासनिक ढाँचा

मा0 मंत्री नगरीय रोजगार एवम् गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

प्रमुख सचिव

विशेष सचिव

उप सचिव

अनुसचिव

अनुभाग अधिकारी

राज्य नगरीय विकास अभिकरण

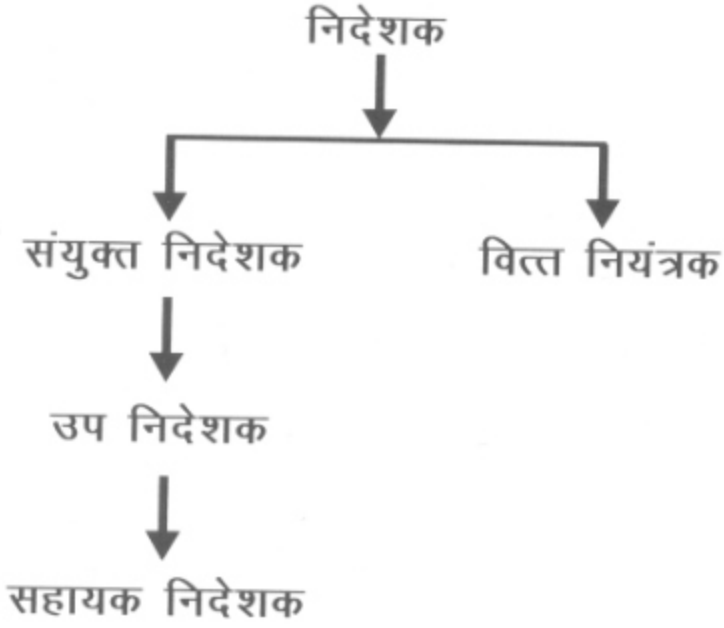

जनपद स्तर पर – जिला नगरीय विकास अभिकरण

अध्यक्ष–जिलाधिकारी

↓

परियोजना निदेशक–अपर जिलाधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी

↓

परियोजना अधिकारी